

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,

लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 07 अक्टूबर, 2014

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2013 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय के संविदा सफाई कर्मचारियों की संविदा धनराशि पुनरीक्षित की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-562/ दस-54 (एम) 2008 टी०सी०, दिनांक 30 अगस्त, 2013 के क्रम में शासनादेश संख्या-1081/9-1-14-466 सा/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2014 इन शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया गया था कि नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत ऐसे संविदा सफाई कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार शासनादेश संख्या-4140/नौ-1-2005-66 सा/2001 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त, 2005 के प्राविधानों/नियमों के अन्तर्गत की गयी हो। उक्त प्राविधानों के अनुसार संविदा पर नियुक्ति सफाई कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए संविदा पुनरीक्षित धनराशि पर आने वाले व्यय-भार को निकाय अपने स्रोतों से वहन करने का प्रस्ताव संबंधित निकाय बोर्ड/सदन से पारित करने के उपरान्त भुगतान की स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिया गया था।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित 18 (मात्र अठारह) नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों को पुनरीक्षित पारिश्रमिक दिये जाने पर आने वाले व्यय-भार को निकायों द्वारा अपने स्रोतों से वहन करने का प्रस्ताव बोर्ड/सदन से पारित करके उपलब्ध कराया गया है।

3. उक्त संलग्न सूची में उल्लिखित 18(अठारह) निकायों के संविदा सफाई कर्मचारियों को पद का अनुमन्य वेतन बैंड रू. 5200-20200 में न्यूनतम वेतन रू. 5200/- एवं ग्रेड वेतन रू. 1800/- तथा उस पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए संविदा धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/वेतन वृद्धि/सुविधा अनुमन्य नहीं होगा।

4. कृपया उक्त के संबंध में अपने स्तर से संबंधित निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न सूची के अनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 जिलाधिकारी, लखनऊ, मथुरा, बलरामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुरदेहात, बस्ती, सहारनपुर, सोनभद्र, अलीगढ़, गजियाबाद, कुशीनगर।
2 नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी, अलीगढ़, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, सम्भल, रामपुर, सोनभद्र, लोनी एवं नगर पंचायत झींझक, अमेठी, फरह, नरौली, हरैया, भोजपुर धर्मपुर, कुन्दरकी, सुल्तानपुर चिल्काना, जोया, रामकोला, अमरौंधा, अकबरपुर।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)


संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-4066/9-1-14-466 सा/2013, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 का संलग्नक

नगरीय स्थानीय निकायों के नाम :-

क्रम	निकाय का नाम एवं जनपद	सदन/बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव की तिथि
1	नगर निगम, अलीगढ़	30-08-2014
2	नगर पालिका परिषद उत्तरौला, बलरामपुर	04-09-2014
3	नगर पालिका परिषद बहजोई, सम्भल	16-08-2014
4	नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद	04-09-2014
5	नगर पालिका परिषद सोनभद्र, सोनभद्र	11-09-2014
6	नगर पालिका परिषद स्वार, रामपुर	14-08-2014
7	नगर पंचायत झींझक, कानपुर देहात	19-07-2014
8	नगर पंचायत नरौली, सम्भल	20-08-2014
9	नगर पंचायत हरैया, बस्ती	21-08-2014
10	नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर, मुरादाबाद	13-08-2014
11	नगर पंचायत कुन्दरकी, मुरादाबाद	12-08-2014
12	नगर पंचायत सुल्तानपुर चिल्काना, सहारनपुर	11-08-2014
13	नगर पंचायत जोया, अमरोहा	19-08-2014
14	नगर पंचायत रामकोला, कुशीनगर	06-09-2014
15	नगर पंचायत अमरौधा, कानपुर देहात	12-09-2014
16	नगर पंचायत अकबरपुर, कानपुर देहात	28-08-2014
17	नगर पंचायत अमेठी, लखनऊ	27-07-2014
18	नगर पंचायत फरह, मथुरा	08-08-2014

कुल -18 (कुल अठारह निकायों की सूचना)


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।